न्यायालयः—विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

कोरबा, जिला — कोरबा (छ0ग0)

(पीठासीन न्यायाधीश—(जयदीप गर्ग)

निर्णय दिनांक 29—07—2024

विशेष दाण्डिक प्रकरण क्रमांक	14 / 2015 **सी0एन0आर0 नंबर** CGKB010005802015
पुलिस थाना	थाना अजाक, जिला— कोरबा (छ0ग0) का अपराध क्रमांक— 33 दिनांक 28.07.2013
संस्थित दिनांक	17—07—2015
अभियोजन	छ0ग0 राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट कोरबा, जिला कोरबा (छ0ग0)
प्रतिनिधित्वकर्ता	श्री कमलेश उपाध्याय विशेष लोक अभियोजक
अभियुक्तगण 1—	राजेन्द्र प्रसाद यादव पिता कालीचरण यादव उम्र 45 वर्ष निवासी दादरखुर्द खरमोरा, कोरबा जिला कोरबा (छ0ग0)
2—	जवाहर लाल अग्रवाल पिता स्व0 चंदगीराम अग्रवाल उम्र 64 वर्ष निवासी—तुलसी मार्ग कोरबा जिला कोरबा (छ0ग0)
प्रतिनिधित्वकर्ता	डॉ0 निर्मल कुमार शुक्ला वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री चंद्रकांत शर्मा, श्री सुरेश पटेल, श्री विक्रम शर्मा, श्री पुष्प कुमार गुप्ता एवं सुश्री पी0एस0 निकिता अधिवक्तागण अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल की ओर से। श्री सुनील कुमार सोनवानी अधिवक्ता अभियुक्त राजेन्द्र यादव की ओर से।

घटना दिनांक	23—04—2008
प्रथम सूचना पत्र दर्ज दिनांक	28—07—2013
अभियोग पत्र दिनांक	15—11—2015
आरोप पत्र विरचित दिनांक	02—02—2016 व 11—11—2016
साक्ष्य प्रारंभ दिनांक	21—04—2016
निर्णय हेतु प्रकरण सुरक्षित रखे जाने की दिनांक	18—07—2024
निर्णय दिनांक	29—07—2024
दोषसिद्धि दिनांक	29—07—2024

—:: Accused Details ::—

अभियुक्त का कमांक	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर मुक्त किये जाने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्धी	दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि
1—	राजेन्द्र प्रसाद यादव पिता कालीचरण यादव उम्र 37 वर्ष निवासी दादरखुर्द खरमोरा	09—01—2015	11—06—2015	राजेन्द्र प्रसाद यादव पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(iv) एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419,420,467,468,471	अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद यादव को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419 सहपठित धारा 34, धारा 420 सहपठित धारा 34, धारा 467 सहपठित धारा 34 एवं धारा 468 सहपठित धारा 34 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(iv) में दोषसिद्धि	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419 सहपठित धारा 34 में 02 वर्ष एवं 4000/—रू0 (चार हजार रूपये) ———————— भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 सहपठित धारा 34 में 05 वर्ष एवं 10,000/—रू0 (दस हजार रूपये) ———————— भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467 सहपठित धारा 34 में 07 वर्ष एवं 14,000/—रू0 (चौदह हजार रूपये) ———————— भारतीय दण्ड संहिता की धारा 468 सहपठित धारा 34 में 5 वर्ष एवं 10,000/—रू0 (दस हजार रूपये) ———————— अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(iv) में 03 वर्ष एवं 6000/—रू0 (छः हजार रूपये)	153 दिन

अभियुक्त का क्रमांक	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर मुक्त किये जाने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्धी	दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि
2–	जवाहर लाल अग्रवाल पिता स्व0 चंदगीराम अग्रवाल उम्र 56 वर्ष निवासी–तुलसी मार्ग कोरबा जिला कोरबा(छ0ग0)	अग्रिम जमानत	–	अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(iv) एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467,468,471	अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467 सहपठित धारा 34, धारा 468 सहपठित धारा 34 एवं धारा 471 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(iv) में दोषसिद्धि	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467 सहपठित धारा 34 में 07 वर्ष एवं 14,000/– रू0 (चौदह हजार रूपये) ———— भारतीय दण्ड संहिता की धारा 468 सहपठित धारा 34 में 5 वर्ष एवं 10,000/– रू0 (दस हजार रूपये) ———— भारतीय दण्ड संहिता की धारा 471 में 02 वर्ष एवं 4,000/– रू0 (चार हजार रूपये) ———— अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(iv) में 03 वर्ष एवं 6000/–रू0 (छः हजार रूपये)	निरंक

Index

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	निर्णय का शीर्षक	1
2	अधिवक्ता की उपस्थिति	4
3	आरोप	4–5
4	स्वीकृत तथ्य	–
5	अभियोजन घटना	6–8
6	परीक्षित साक्षी एवं प्रदर्शित दस्तावेज	8–9
7	विचारणीय प्रश्न एवं उभय पक्ष की ओर से तर्क	9–12
8	निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार	13–36
9	दण्डादेश	34–36
10	अभिरक्षा अवधि एवं मुजरा (दण्डादेश में समायोजन)	–

11	संपत्ति का निराकरण	36
12	क्षतिपूर्ति आदेश	–
13	सजा (कारावास या जुर्माना)	34–35
14	धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रमाण पत्र	37
15	निर्णय की प्रति	37

प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 33 दिनांक 28–07–2013 थाना अजाक कोरबा, जिला कोरबा (छ0ग0) अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(iv) एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420,467,468,471,34

राज्य की ओर से–श्री कमलेश उपाध्याय विशेष लोक अभियोजक।
अभियुक्त राजेन्द्र यादव की ओर से– श्री सुनील कुमार सोनवानी अधिवक्ता।
अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल की ओर से– श्री निर्मल शुक्ला वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री चंद्रकांत शर्मा, श्री सुरेश पटेल, श्री विक्रम शर्मा, श्री पुष्प कुमार गुप्ता एवं सुश्री पी0एस0 निकिता अधिवक्तागण।

–:: निर्णय ::–

(दिनांक 29–07–2024 को घोषित)

01. अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद यादव पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(iv) एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419,420,467,468,471 के अधीन तथा अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की

धारा 3(1)(iv) एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467,468,471 के अधीन यह आरोप है कि दिनांक 22–04–2008 को या उसके पूर्व या पश्चात अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद यादव ने परदेशी राम यादव को जानते एवं पहचानते हुये उप–पंजीयक कोरबा के कार्यालय में उक्त परदेशी राम यादव की पहचान रामसाय पिता दोंदरो के रूप में करते हुये रामसाय की ग्राम दादरखुर्द स्थित भूमि ख0नं0 624 रकबा 01 एकड़ का विक्रयनामा जवाहर लाल अग्रवाल के पक्ष में बनवाया। इस प्रकार उक्त दोनों अभियुक्तगण ने अन्य सह अभियुक्तगण कमल नारायण पटेल (वर्तमान समय में मृतक), परदेशी राम यादव (वर्तमान समय में मृतक) और मोहन लाल शर्मा तत्कालीन राजस्व निरीक्षक (गिरफ्तार नहीं) के साथ एक राय होकर उप–पंजीयक कार्यालय कोरबा में छल–कपटपूर्वक विक्रय पत्र की कूटरचना की एवं रामसाय पिता दोंदरो जो कि अनुसूचित जनजाति उरॉव का सदस्य है को जानते हुये उसके विरूद्ध अपराध किया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा के समक्ष में अंतिम प्रतिवेदन अंतर्गत धारा 173 द0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में इस न्यायालय को विशेष क्षेत्राधिकार होने के कारण यह प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से दिनांक 17–07–2015 को विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

02. प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस पेटिशन

क्रमांक 260/2019 में पारित आदेश दिनांक 17.05.2019 के पालन में अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल को आरोप अन्तर्गत धारा– 419, 420 भा0दं0वि0 से उन्मुक्त किया गया है।

03. इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार अभियुक्त कमल नारायण पटेल की दिनांक–15–02–2015 को एवं अभियुक्त परदेशी राम यादव की मृत्यु दिनांक 31.12.2014 को हो गई थी। एक अन्य अभियुक्त राजस्व निरीक्षक मोहन लाल शर्मा के फरार रहने के कारण इस न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश श्री व्ही0के0 एक्का द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.07.2016 के अनुसार धारा 299 द0प्र0स0ं के अंतर्गत फरार घोषित करते हुये उसके विरूद्ध बेमियादी वारंट जारी किया गया है। अभियोजन साक्षी क्रमांक 14 कीर्तन राठौर के अनुसार उक्त मोहन लाल शर्मा की भी मृत्यु हो गई है।

04. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रकरण के प्रार्थी रामसाय उरॉव पिता–दोदरो, उम्र–70 वर्ष, निवासी–दादरखुर्द (कदमखार) के द्वारा कलेक्टर, जिला कोरबा छ0ग0 को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि उसके हक की जमीन खसरा नंबर 626 रकबा 1 एकड़ को आरोपी रामसाय पिता दोन्द्रो यादव दादरखुर्द एवं राजेन्द्र यादव पिता कालीचरण यादव, निवासी–दादरखुर्द के द्वारा दशरथ उरांव के स्थान पर खड़ाकर कूटरचित दस्तावेज के आधार पर धोखाधड़ी करते हुए

उप–पंजीयक कार्यालय कोरबा से रजिस्ट्री कराये जाने के संबंध में कलेक्टर कोरबा को शिकायत पत्र दिया गया था। जिला दण्डाधिकारी कोरबा के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के माध्यम से टीम गठित कर विवादित भूमि का जॉच कराया गया। जॉच पर पाया गया कि कूटरचित दस्तावेज के आधार पर रामसाय पिता दोंदरों निवासी कदमहाखार जाति उरॉव के जमीन को रामसाय पिता दोंदरो यादव का भूस्वामी बनाकर अनुसूचित जनजाति की जमीन को फर्जी तरीके से अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल पिता चंदगीराम अग्रवाल के नाम पर रजिस्ट्री कराया गया है। जॉच प्रतिवेदन के आधार पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना पर अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद यादव पिता कालीचरण यादव, कमल नारायण पटेल पिता गंगाधर पटेल को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त कमलनारायण पटेल का रिमाण्ड अवधि में दिनांक 18.02.2015 को फौत हो गयी तथा मामले के अभियुक्त परदेशीराम यादव पिता बिशाहूराम यादव की मृत्यु दिनांक 31.12.2014 को हो गई है। अपराध विवेचना के दौरान अभियुक्त राजेन्द्र यादव, कमल नारायण को दिनांक 09–01–2015 को गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। अभियुक्त कमल नारायण पटेल उपचार के दौरान जिला अस्पताल कोरबा में दिनांक 15–02–2015 को फौत हो गया है। अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश क्रमांक MCRCA No. 882 of 2015 द्वारा अग्रिम

जमानत की सुविधा प्रदान की गई है, जिसके परिपालन में जमानत मुचलका न्यायालय में प्रस्तुत कर आदेश पत्रक दिनांक 25–07–2016 अनुसार अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल न्यायालय में उपस्थित।

05. इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये गये, जिन्हें अभियुक्तगण द्वारा अस्वीकार करते हुये विचारण की मांग की गई।

06. विवेचना के दौरान अभियोजन द्वारा **18** साक्षियों अर्थात प्रार्थी रामसाय उरॉव अ0सा0–01, छोटे लाल अ0सा0–02, अर्जून उरॉव अ0सा0–03, शत्रुघन लाल अ0सा0–04, पिताम्बर यादव अ0सा0–05, नीलम केरकेट्टा अ0सा0–06, राजू राम अ0सा0–07, राजेश कंवर अ0सा0–08, राजदेव यादव अ0सा0–09, राजस्व निरीक्षक परमानंद कौशिक अ0सा0–10, भगतराम यादव अ0सा0–11, गोविंद राम राठौर अ0सा0–12, जीवन प्रताप सिंह अ0सा0–13, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर अ0सा0–14, सहायक उपनिरीक्षक सुमरन सिंह पैंकरा अ0सा0–15, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्टर तिर्की अ0सा0–16, उप–पंजीयक प्रहलाद द्विवेदी अ0सा0–17, निरीक्षक आर0एस0 मण्डावी अ0सा0–18 का परीक्षण करवाया गया है।

07. अभियोजन द्वारा साक्षियों की साक्ष्य में प्रार्थी द्वारा दिये गये आवेदन की अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा सत्यापित प्र0पी0–01, जप्ती पत्रक प्र0पी0–02, जाति प्रमाण पत्र प्र0पी0–03, जप्ती पत्रक

प्र0पी0–04, मूल ऋण पुस्तिका प्र0पी0–05, पुलिस कथन प्र0पी0–07, प्र0पी0–08, जप्ती पत्रक प्र0पी0–09, प्र0पी0–10, पच्चीस हजार रूपये का स्टाम्प प्र0पी0–11 व बीस हजार रूपये का स्टाम्प प्र0पी0–11, मृत्यु प्रमाण पत्र परदेशी राम यादव का प्र0पी0–12, जप्ती पत्रक प्र0पी0–13, कथन प्र0पी0–14, जप्ती पत्रक प्र0पी0–15, जप्ती पत्रक प्र0पी0–16, जप्ती पत्रक प्र0पी0–17, गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0–18, गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0–19, कथन प्र0पी0–20, जॉच प्रतिवेदन प्र0पी0–21/सी, खसरा प्र0पी0–22/सी, प्र0पी0–23/सी, पंचनामा प्र0पी0–24/सी, खसरा मसाहती प्र0पी0–25, प्र0पी0–26, प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र0पी0–27, नमूना हस्ताक्षर प्र0पी0–28, प्र0पी0–29, प्र0पी0–30, कार्यालय पुलिस अधीक्षक प्र0पी0–31, प्र0पी0–32, स्टेट इक्जामनर ऑफ क्वेश्चन्ड डॉक्यूमेंट ओपिनियन प्र0पी0–33, गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0–34 प्रस्तुत किए गये हैं।

08. धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त कथन लिए जाने पर अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल ने स्वयं को निर्दोष होने का कथन करते हुए बचाव में साक्ष्य देना चुना है एवं दिनांक 30.05.2024 को बचाव साक्ष्य में स्वयं उपस्थित होकर कथन किया। अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद यादव ने स्वयं को निर्दोष होने का कथन करते हुए बचाव में साक्ष्य नहीं देना चुना है।

09. विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं विद्वान बचाव अधिवक्ता के प्रकरण के संबंध में विस्तृत मौखिक तर्क श्रवण किये

गये एवं अभिलेख में मौजूद शपथपूर्वक साक्ष्यों एवं दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

10. प्रकरण में विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क किया गया कि मृतक परदेशी राम यादव द्वारा रामसाय यादव के रूप में उप–पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल के पक्ष में कूटरचित विक्रयनामा निष्पादित कराया गया एवं पंजीयन कराया गया। भूमि को गैर आदिवासी बताने के लिये पीड़ित रामसाय उरॉव के स्थान पर उसको रामसाय यादव लिखा गया। अभियुक्त राजेन्द्र यादव द्वारा परदेशी राम यादव की पहचान रामसाय यादव के रूप में की गई। उनके द्वारा तर्क किया गया कि उक्त तथ्य एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्र0पी0–31,32,33 से प्रमाणित होता है। उनके द्वारा तर्क किया गया कि पंजीबद्ध विक्रयनामा प्र0पी0–11 एवं प्र0पी0–11ए के अनुसार अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल द्वारा भूमि को 1/20 कीमत पर खरीदा गया है और यह तभी होता है कि जब क्रेता को मालूम होता है कि चोरी अथवा धोखाधड़ी का माल खरीद रहा है, इसलिये वह सद्भाविक् क्रेता नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि स्वयं जवाहर लाल अग्रवाल के द्वारा अपने बचाव साक्षी के रूप में उपस्थित होकर कथन किया गया है कि दादरखूर्द में उसकी अन्य भूमि भी है इसलिये उसके पीड़ित रामसाय उरॉव से अपरिचित होने की संभावना नगण्य है। इसके अतिरिक्त जवाहर लाल अग्रवाल द्वारा उक्त विक्रयनामा प्र0पी0–11 एवं प्र0पी0–11ए को कूटरचित जानते

हुये भी उसका उपयोग असली के रूप में करते हुये अपने पक्ष में नामान्तरण चढ़वाया गया है।

11. बचाव पक्ष की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि जवाहर लाल अग्रवाल निर्दोष है। वह ग्राम दादरखुर्द के व्यक्तियों को नहीं जानता था। मृतक गवाह कमलनारायण पटेल द्वारा परदेशी की पहचान रामसाय यादव के रूप में की गई थी। जवाहर लाल अग्रवाल तो सद्भाविक क्रेता है। उसका कोई दोष नहीं है। जवाहर लाल अग्रवाल द्वारा स्वयं व्यवहार न्यायालय मं उक्त विक्रयनामा को निरस्त करने बाबत् व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया था एवं कलेक्टर द्वारा भूमि का नाम वापस रामसाय उरॉव के नाम पर किये जाने के बाद जवाहर लाल अग्रवाल द्वारा वह व्यवहारवाद अदम पैरवी में खारीज कराया गया था।

12. दूसरे अभियुक्त राजेन्द्र यादव के संबंध में उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि राजेन्द्र यादव तो केवल विक्रय पत्र का गवाह है। राजेन्द्र यादव के द्वारा परसराम यादव की पहचान नहीं की गई थी वह तो अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल के कहने पर उपस्थित हुआ था। दोनों अभियुक्तगण के अधिवक्तों द्वारा दोनों अभियुक्तगण को निर्दोष घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

–: <u>प्रकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं</u> :–

1– क्या मृतक परदेशी राम यादव द्वारा रामसाय यादव के रूप में उपस्थित होकर प्रतिरूपण करते हुये अभियुक्त जवाहर

लाल अग्रवाल के पक्ष में कूटरचित विक्रयनामा निष्पादित कराया गया है ?

2– क्या अभियुक्त राजेन्द्र यादव द्वारा उपरोक्त प्रतिरूपण किये जाने में मृतक परदेशी राम यादव की शिनाख्त रामसाय यादव के रूप में की गई ?

3– क्या अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र यादव एवं अन्य व्यक्तियों के साथ एक राय होकर अपने पक्ष में कूटरचित विक्रयनामा निष्पादित कराया गया ?

4– क्या अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल द्वारा उक्त विक्रयनामा को कूटरचित जानते हुये भी उसका उपयोग असली के रूप में किया गया?

5– क्या प्रार्थी रामसाय उरांव अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है और अभियुक्तगण राजेन्द्र यादव एवं जवाहर लाल अग्रवाल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के सदस्य नहीं है ?

6– क्या अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल, अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ एक राय होकर रामसाय पिता दोंदरों उरांव को अनुसूचित जनजाति का सदस्य जानते हुये उसकी भूमि को सदोष अधिभोग में लिया उस पर खेती किया अथवा उस भूमि को अपने नाम पर नामंतरित कराया गया ?

–: प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य :–

13. प्रकरण में पीड़ित रामसाय उरॉव अ0सा0–01 द्वारा कथन किया गया है कि वह अपने बच्चों की पढ़ाई के लिये जाति प्रमाण बनवाने तहसील कार्यालय कोरबा गया था जहॉ पर उसे पता लगा कि किसी व्यक्ति ने उसकी जमीन को अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल को बेच दिया है। उसकी जमीन के विक्रेता का नाम रामसाय यादव लिखा हुआ है जबकि उसका नाम रामसाय उरॉव है। कलेक्टर साहब ने उससे आवेदन लेकर उससे कहा था कि उसकी जमीन उसे वापिस मिल जायेगी। उसके द्वारा कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन प्र0पी0–01 है। उसका यह भी कथन है कि उसका जरूरत पड़ने पर वह हस्ताक्षर करता है जबकि उसकी बिक्री संबंधी कागज में अंगूठा लगाया गया था। कलेक्टर साहब ने हरिजन अजाक थाना जाने के लिये बोला था। कंडिका 08 में उसका कथन है कि उसकी भूमि को गैर आदिवासी जमीन होना बताकर जवाहर लाल अग्रवाल के पास विक्रय कर दिया है। कंडिका 09 में उसका कथन है कि किसी अन्य व्यक्ति ने उसके स्थान पर अपना फोटो लगाकर और फर्जी कागज तैयार कर और झूठा गवाह प्रस्तुत कर रजिस्ट्री करवा दिया है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 23 में उसके द्वारा बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि परदेशी राम यादव को उसके स्थान पर खड़ा कर जवाहर लाल अग्रवाल के नाम पर जमीन की विक्रय किया गया है।

14. छोटे लाल अ0सा0–02 एवं अर्जुन उरॉव अ0सा0–03 द्वारा कथन किया गया है कि वह दोनों पीड़ित रामसाय उरॉव को जानते हैं जो कि उरॉव जाति का है और उनके गॉव में रहता है।

15. पिताम्बर यादव अ0सा0–05 द्वारा कथन किया गया है कि वह राजदेव यादव के ट्रैक्टर का ड्राईवर है। अभियुक्त राजेन्द्र यादव, राजदेव यादव का भाई है इसलिये राजेन्द्र यादव को जानता है तथा राजेन्द्र यादव को मितान बोलता है। साक्षी के कथन अनुसार परदेशी राम यादव उसके पिता थे। उक्त साक्षी को अभिलेख में संलग्न पंजीकृत विक्रय पत्र की छायाप्रति प्र0पी0–11 दिखाये जाने पर उसने कथन किया है कि रामसाय के नाम की जो फोटो लगी है वह वास्तव में उसके पिताजी की है।

16. परमानन्द कौशिक अ0सा0–10 द्वारा मुख्य परीक्षण में कथन किया गया है कि वह वर्ष 2013 में भू–अभिलेख कलेक्टरेट कार्यालय कोरबा राजस्व निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। कलेक्टर कोरबा द्वारा आदिवासियों की भूमि गैर आदिवासियों के नाम पर दर्ज हो जाने की जॉच के लिए टीम गठित की गई जिसमें वह भी टीम का सदस्य था। उसने जॉच के दौरान ग्राम दादरखुर्द की मिसल बंदोबस्त, अधिकार अभिलेख का मिलान करने पर पाया था कि खसरा नंबर 626 एवं 624 जो पूर्व में आदिवासी कास्तकार की भूमि थी, को गैर आदिवासी के नाम पर दर्ज होना पाया था। आदिवासी

कास्तकार की भूमि को बिना कलेक्टर के अनुमति के गैर आदिवासी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। यदि आदिवासी कास्तकार की भूमि गैर आदिवासी के व्यक्ति को बिना कलेक्टर की अनुमति के हस्तांतरित की जाती है तो वह नियम विरूद्ध है। उसने पुलिस को बताया था कि आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी व्यक्ति को कूटरचना एवं धोखाधड़ी कर फर्जी फोटो लगाकर और फर्जी भू–स्वामी बताकर उक्त दोनों खसरा नंबर की भूमि को गैर आदिवासी व्यक्ति को विक्रय किया गया था।

17. परमानन्द कौशिक अ0सा0–10 को विद्वान लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्राही घोषित किया जाकर प्रतिपरीक्षण किया गया। साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि खसरा नंबर 626 दशरथ उरांव एवं खसरा नंबर 624 रामसाय पिता कोंदा उरांव, ग्राम दादरखुर्द के नाम भू–स्वामी के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज रहा। उक्त दोनों भूमि को राजेन्द्र यादव, पिता कालीचरण यादव, मोहन लाल शर्मा तथा गवाह राजकुमार एवं कमल नारायण द्वारा आदिवासी जमीन को धोखाधड़ी कर फर्जी ढंग से कूटरचना कर रजिस्ट्री दस्तावेज में दशरथ उरांव एवं रामसाय उरांव का फर्जी फोटो लगाकर गैर आदिवासी यादव दर्ज कर रजिस्ट्री कराया गया है। उसने पुलिस को बताया था कि खसरा नंबर 624 जो रामसाय पिता दोदरो के नाम पर अधिकार अभिलेख में दर्ज है। उसे रामसाय यादव पिता दोंदरो के नाम पर अधिकार अभिलेख में दर्ज है। उसे

रामसाय यादव पिता दोंदरों यादव फर्जी व्यक्ति बन कर जवाहर लाल अग्रवाल पिता चांदगी अग्रवाल को विक्रय किया गया है। उसने उक्त दोनों खसरा नंबर के संबंध में जांच के दौरान ग्रामवासी मानसाय, धनसाय एवं बुधवानी से पूछताछ किया था तब उन्होंने बताया था कि उक्त दोनों खसरा नंबर की भूमि की रजिस्ट्री में फोटो लगा है वह रामसाय, पिता दोंदरों का फोटो नहीं होना बताये थे। उक्त तीनों व्यक्तियों ने उसे बताया था कि रामसाय उरांव पिता दोंदरों आदिवासी वर्ग का है। उक्त दोनों खसरा नंबर की भूमि आदिवासी कृषक की भूमि पाया गया था जिसे गैर आदिवासी की भूमि होना बताकर गैर आदिवासी व्यक्ति को रजिस्ट्री की गई थी। उक्त दोनों भूमि की जांच प्रतिवेदन जांच पश्चात् कलेक्टर कोरबा को सौंपा गया था।

18. परमानन्द कौशिक अ0सा0–10 का यह भी कथन है कि खसरा नंबर 624 पूर्व में आदिवासी व्यक्ति की भूमि मिसल बंदोबस्त में दर्ज थी तथा उक्त खसरा नंबर के विक्रेता द्वारा कूटरचना की गई थी। इस साक्षी को प्रतिपरीक्षण की कंडिका 12 में यह पूछे जाने पर कि वह दस्तावेज बताईये जिस दस्तावेज में कूटरचना की गई हो। तब साक्षी का कहना है कि जो बैनामा है वही कूटरचित है। जिस भूमि का बैनामा किया गया था उस भूमि का मूल भूमिस्वामी आदिवासी था उसके राजस्व अभिलेख बी–01 में भूमि आदिवासी भूमि

होने का उल्लेख था जिसमें लीपापोती करके गैर आदिवासी भूमि बनाया गया था।

19. भगतराम यादव अ0सा0–11 द्वारा कथन किया गया है कि वह न्यायालय उपस्थित आरोपीगण राजेन्द्र यादव एवं जवाहर लाल अग्रवाल को पहचानता है। अभियुक्त राजेन्द्र यादव उसके गांव में निवास करता है और अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल कोरबा में निवास करता है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर, प्रतिपरीक्षण की अनुमति उपरांत, प्रतिपरीक्षण किया गया है। उक्त प्रतिपरीक्षण में साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि वर्ष 2015 में जब पुलिस वाले उससे पूछताछ किये थे तब उसने बताया था कि पॉच–छः साल पूर्व की बात है कि पार्षद करम सिंह यादव के घर सुबह सामाजिक मीटिंग के लिए बैठे थे तभी करीबन 11 बजे दादरखुर्द का राजेन्द्र यादव आया था और पार्षद को पंचनामा बनाने के लिए बोला था। उस समय राजेन्द्र यादव जमीन खरीदी बिक्री करना है बोला था। तब पार्षद कोरा कागज में सील और हस्ताक्षर किया था एवं वहॉ पर मीटिंग में बैठे अन्य लोग भी हस्ताक्षर किये थे और उसने भी हस्ताक्षर किया था। राजेन्द्र यादव पंचनामा बाद में लिख लूंगा बोला था। उस समय राजेन्द्र यादव ने रामसाय यादव का जमीन बेचना है बताया था।

20. भगतराम यादव अ0सा0–11 द्वारा बचाव पक्ष के प्रतिपरीक्षण कि कंडिका 05 में यह स्वीकार किया है कि वह

अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल को वह इस कारण से जानता है क्योंकि दादरखुर्द में उसकी बहुत सारी जमीनें हैं और वे उसे देखने के लिये आते रहते हैं। यह स्वीकार किया है कि वह ग्राम दादरखुर्द में रहता है।

21. कीर्तन राठौर अ0सा0 14 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कंडिका 03 में कथन किया गया है कि प्रकरण के तीन अन्य अभियुक्त रामसाय यादव, कमल नारायण पटेल एवं मोहन लाल शर्मा के मृत्यु हो चुकी है। कंडिका 05 में कथन किया है कि दिनांक 26–03–2015 को राजदेव यादव के पेश करने पर अभियुक्त राजेन्द्र यादव की वर्ष 2008 की एक डायरी जप्त की गई थी। जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी0–15** एवं **प्रदर्श पी0–16** है जिस पर उसका हस्ताक्षर है एवं उक्त डायरी की सत्यापित प्रति **आर्टिकल ए–01** एवं **ए–02** है।

22. कीर्तन राठौर अ0सा0 14 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कंडिका 07 में कथन किया है कि दिनांक 31–03–2015 को उसके द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद यादव का गवाहों की उपस्थिति में नमूना हस्ताक्षर लिया था जो **प्रदर्श पी0–28**, **प्रदर्श पी0–29** एवं **प्रदर्श पी0–30** है जिस पर उसका हस्ताक्षर है। कंडिका 09 में कथन किया है कि दिनांक 03–04–2015 को पुलिस अधीक्षक कोरबा के मार्फत पत्र के साथ राजेन्द्र यादव के हस्ताक्षर को अभिमत देने हेतु राजकीय परीक्षक विवादग्रस्त दस्तावेज पुलिस मुख्यालय रायपुर

छ0ग0 को भेजा गया था जिसके साथ प्रथम सूचना पत्र की छायाप्रति, रजिस्ट्री स्टाम्प की मूल, जप्ती पत्रक की छायाप्रति, अभियुक्त राजेन्द्र यादव का नमूना हस्ताक्षर की मूल एवं स्वाभाविक हस्ताक्षर की छायाप्रति को रिपोर्ट देने हेतु भेजा गया था। पुलिस अधीक्षक कोरबा का उक्त पत्र **प्रदर्श पी0–31** एवं **प्रदर्श पी0–32** है। एडिशनल स्टेट एक्जामिनर क्वेशन डाक्यूमेंट गर्वनमेंट ऑफ सी. जी. का रिपोर्ट प्राप्त हुआ है जो **प्रदर्श पी0–33** है।

23. **कीर्तन राठौर अ0सा0 14** अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिपरीक्षण की कंडिका 12 में कथन किया है कि डायरी में राजेन्द्र यादव का हस्ताक्षर था इसलिए उसके हस्ताक्षर के मिलान के लिए उक्त डायरी को उसके भाई राजदेव से जप्त किया गया था। पूरी डायरी को जप्त नहीं किया गया था, बल्कि डायरी के दो पेज जिस पर उसके हस्ताक्षर थे को ही जप्त किया गया था।

24. **अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल** द्वारा स्वयं बचाव साक्षी क्रमांक 01 के रूप में उपस्थित होकर कथन किया गया है कि उसने दिनांक 29–03–2012 को पुलिस चौकी प्रभारी मानिकपुर को विक्रेता रामसाय यादव द्वारा धोखा देते हुए जमीन की बिक्री किये जाने के संबंध में शिकायत किया था, जिसकी प्रतिलिपि कलेक्टर कोरबा एवं एस०पी० कोरबा को दिया था जो प्र०डी०–02 है। उसने श्रीमान् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक कोरबा के न्यायालय में व्यवहार वाद रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 23–04–2008 को शून्य घोषित किये

जाने हेतु वाद क्रमांक 4अ/2012 पक्षकार जवाहर लाल अग्रवाल बनाम रामसाय यादव वगैरह प्रस्तुत किया था। उस व्यवहार वाद के आदेश पत्रक दिनांक 08–07–2012 एवं 06–12–2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०डी०–03 है । व्यवहार वाद की सत्यापित प्रतिलिपि जो प्र०डी०–04 है। व्यवहार वाद में संलग्न उसके शपथ पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्र०डी०–05 है। कलेक्टर कोरबा द्वारा प्रकरण की जांच करने के उपरांत भूमि का नामांतरण रामसाय के पक्ष में कर दिया गया था। इसलिए उसने व्यवहार वाद को अनुपस्थिति में खारिज करा दिया था।

25. अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल बचाव साक्षी क्रमांक 01 ने प्रतिपरीक्षण कंडिका 06 में अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसकी ग्राम दादरखुर्द में अन्य भूमि भी है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसे खसरा नंबर 624 की भूमि आदिवासी भूमि जानते हुए उसके द्वारा उक्त भूमि राजेन्द्र यादव के साथ मिलकर धोखाधड़ी करते हुए उक्त भूमि को सामान्य वर्ग की भूमि दिखाते हुए क्रय किया था।

–:: <u>विचारणीय प्रश्न क्रं–01 से 03 पर निष्कर्ष::–</u>

1– क्या मृतक परदेशी राम यादव द्वारा रामसाय यादव के रूप में उपस्थित होकर प्रतिरूपण करते हुये अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल के पक्ष में कूटरचित विक्रयनामा निष्पादित कराया गया है ?

2– क्या अभियुक्त राजेन्द्र यादव द्वारा उपरोक्त प्रतिरूपण किये जाने में मृतक परदेशी राम यादव की शिनाख्त रामसाय यादव के रूप में की गई ?

3– क्या अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र यादव एवं अन्य व्यक्तियों के साथ एक राय होकर अपने पक्ष में कूटरचित विक्रयनामा निष्पादित कराया गया ?

26. उक्त प्रश्नों 01 से 03 आपस में संबंधित होने के कारण सभी का एक साथ निराकरण किया जा रहा है–

27. प्रकरण में साक्ष्य में आया है कि पीड़ित रामसाय उरॉव द्वारा यह कथन किया गया है कि जब वह अपने बच्चों के पढ़ाई के लिये जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिये मिशल बंदोबस्त का रिकार्ड निकलवाने के लिये ऋण पुस्तिका लेकर तहसील कार्यालय गया तो उसे बताया गया कि उसकी भूमि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गैर आदिवासी बनकर जवाहर लाल को विक्रय कर दी गयी है। उसके द्वारा प्रतिपरीक्षण की कंडिका 23 में स्वीकार किया गया है कि परदेशी राम यादव द्वारा रामसाय यादव के रूप में उपस्थित होकर जवाहर लाल अग्रवाल को भूमि बेच दी गई है। पीड़ित द्वारा कलेक्टर को दिये गये आवेदन प्र0पी0–01 में भी उसके द्वारा यही लिखाया गया है कि जवाहर लाल अग्रवाल द्वारा उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को उप–पंजीयक कार्यालय में उपस्थित कराकर उसकी भूमि

की रजिस्ट्री करा लिया गया है एवं उसे तब पता लगा जब वह ख0नं0 624 की नकल लेने कलेक्ट्रेट कार्यालय में गया था।

28. तत्कालीन राजस्व निरीक्षण परमानन्द कौशिक अ0सा0–10 द्वारा भी न्यायालय में कथन किया गया है कि उसने जॉच में पाया था कि रामसाय पिता कोंदा की भूमि को फर्जी फोटो लगाकर एवं कूटरचना करते हुये विक्रय किया गया है।

29. पिताम्बर यादव अ0सा0–05 द्वारा न्यायालय में विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति प्र0पी0–11 देखकर कथन किया है कि उस विक्रय पत्र में रामसाय यादव के नाम की जो फोटो लगी हुई है वह उसके पिता परदेशी राम यादव की है।

30. स्वयं अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल द्वारा अपने बचाव साक्ष्य में उपस्थित होकर कथन किया है कि उसने पुलिस चौकी मानिकपुर को रामसाय यादव द्वारा धोखा देते हुये जमीन की बिक्री किये जाने के सबंध में शिकायत की थी। उसने यह भी कथन किया है कि उसने उक्त विक्रयनामा को निरस्त किये जाने हेतु व्यवहारवाद भी प्रस्तुत किया था। उसके द्वारा वादपत्र की सत्यापित प्र0डी0–04 प्रस्तुत की है। उक्त वाद पत्र की कंडिका 07 में जवाहर लाल अग्रवाल द्वारा यह भी अभिवचन किया गया है कि उसे जानकारी हुई है कि किसी अन्य व्यक्ति ने रामसाय यादव बनकर तथा अपनी फोटो लगाकर बिक्री किया गया है।

31. विक्रयनामा प्र0पी0–11 एवं 11–ए के परिशीलन से ज्ञात होता है कि उक्त भूमि का बाजार मूल्य 10,12,500/– अंकित है, परंतु प्रतिफल की राशि अर्थात विक्री मूल्य केवल 50,000/– रूपये अंकित है। उक्त विक्रयनामा पृष्ठ 02 के पृष्ठभाग पर निम्न मोहरें अंकित है।

इन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, स्वीकार करते हैं कि तथाकथित ....विलेख का निष्पादन किया गया है तथा पूरे/आंशिक रूपये .... शब्दों में .... उन्हें प्राप्त हो गए हैं और रूपये .... शब्दों में ....मेरी उपस्थिति में उन्हें चुकाये गये थे, यथा प्रतिफल की बकाया रकम, यथा रूपये ..... बच गई है जो पंजीयन के बाद प्राप्त होगी। आज तारीख .....

की जॉच पूर्वोक्त निष्पादक/अभिकर्त्ता के शिनाख्त के विषय में की गई।
आज तारीख 23 APR 2008

32. उक्त मोहर के उपर रामसाय यादव एवं जवाहर लाल अग्रवाल के नाम विक्रेता एवं क्रेता के रूप में लिखे हुये हैं तथा दोनों मोहर के बीच में गवाहन कमल नारायण (वर्तमान समय में मृतक) एवं राजेन्द्र यादव के नाम लिखे हुये हैं। इस प्रकार अभियुक्त कमल नारायण (वर्तमान समय में मृतक) एवं अभियुक्त राजेन्द्र यादव द्वारा निष्पादकगण की शिनाख्त की गई थी। इसी प्रकार विक्रयनामा के

पृष्ठ 03 के पृष्ठ भाग पर रामसाय के अंगूठा निशानी के नीचे निम्न मोहर अंकित है–

उपरोक्त निष्पादक/पालक/अभिकर्त्ता रामसाय के अंगूठे का निशान मेरे सम्मुख 23 APR 2008 को लिया गया। हस्ताक्षर उप–पंजीयक कोरबा।

उक्त मोहर के उपर फर्जी रामसाय यादव के अंगूठा निशानी है तथा उसी के नजदीक गवाह राजेन्द्र यादव एवं कमल नारायण (वर्तमान समय में मृतक) के हस्ताक्षर हैं।

33. विक्रयनामा प्र0पी0–11 एवं 11–ए के पृष्ठ 05 पर अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद यादव के गवाह के रूप में हस्ताक्षर हैं, जिसको राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रश्नगत हस्ताक्षर (Q1) से चिन्हांकित किया गया है। उक्त हस्ताक्षर का मिलान राज्य न्यायिक प्रयोगशाला द्वारा नमूना हस्ताक्षर शीट प्र0पी0–28, प्र0पी0–29, प्र0पी0–30 में विवेचना अधिकारी द्वारा गवाहों की उपस्थिति में लिये गये अभियुक्त राजेन्द्र के हस्ताक्षर S1 to S16 एवं अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद यादव की डायरी प्र0पी0–ए–1 एवं प्र0पी0–ए–2 में हस्ताक्षर N1 to N3 से मिलान करने के उपरांत प्र0पी0–33 रिपोर्ट में निम्नानुसार अपना अभिमत दिया गया है :–

I- The person who wrote the red enclosed writings and signatures stamped and marked S1 to S16, N1

to N3 also wrote the red enclosed signatures similarly stamped and marked Q1.

34. प्रकरण में साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक परदेशी राम यादव द्वारा पीड़ित रामसाय यादव के रूप में उप–पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल के पक्ष में कूटरचित विक्रयनामा निष्पादित कराया गया एवं पंजीयन कराया गया। अभियुक्त राजेन्द्र यादव द्वारा परदेशी राम यादव की पहचान रामसाय यादव के रूप में की गई एवं रामसाय उरॉव के स्थान पर उसको रामसाय यादव लिखा गया। इस प्रकार एक कूटरचित विक्रय पत्र निष्पादित कराया गया, जिसमें अभियुक्त राजेन्द्र यादव की भूमिका अत्यंत स्पष्ट है कि उसने प्रतिरूपण करने वाले परदेशी राम यादव की पहचान की।

35. साक्षी **भगतराम यादव अ0सा0–11** द्वारा प्रतिपरीक्षण कि कंडिका 05 में यह स्वीकार किया है कि वह अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल को वह इस कारण से जानता है क्योंकि दादरखुर्द में उसकी बहुत सारी जमीनें हैं और वे उसे देखने के लिये आते रहते हैं। स्वयं अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल के द्वारा बचाव साक्षी के रूप में उपस्थित होकर अपना कथन किया गया है, जिसमें उसने स्वीकार किया है कि दादरखूर्द में उसकी अन्य भूमि भी है।

36. अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल की ग्राम दादरखुर्द में पहले से ही अनेक जमीनें होने के कारण तथा उन जमीनों की देखभाल के लिये आने जाने के कारण उसका ग्राम दादरखुर्द के व्यक्तियों से अपरिचित होने की संभावना नगण्य है। अतः बचाव पक्ष के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि जवाहर लाल अग्रवाल वास्तविक रामसाय उरॉव से अपरिचित था।

37. उक्त कूटरचित विक्रयनामा प्र0पी0–11 एवं 11–ए के परिशीलन से ज्ञात होता है कि उक्त भूमि का बाजार मूल्य 10,12,500/– अंकित है, परंतु प्रतिफल की राशि अर्थात विक्री मूल्य केवल 50,000/– रूपये अंकित है। इस प्रकार विक्रय पत्र के अनुसार अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल द्वारा भूमि को 1/20 कीमत पर खरीदा गया है। यदि अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल द्वारा भूमि को बाजार मूल्य पर या उसके लगभग कीमत पर खरीदा जाता तो उसके सद्भाविक क्रेता होने की उपधारणा हो सकती थी, परंतु इस प्रकरण में 1/20 कीमत में खरीदी की गई है जिससे सद्भाविक क्रेता होने की उपधारणा नहीं की जा सकती है। मैं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के इस तर्क से सहमत हूँ कि ऐसा तभी होता है कि जब क्रेता को मालूम होता है कि चोरी–चकारी अथवा धोखाधड़ी का माल खरीदा बेचा जाता है।

38. यद्यपि विक्रयनामा कूटरचित होने के कारण प्रारंभ से ही शुन्य है, परंतु उक्त शुन्य किये जाने की घोषणा व्यवहार वाद के

माध्यम से व्यवहार न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल द्वारा व्यवहार वाद को अदम पैरवी में खारिज कराने के कारण कूटरचित पंजीकृत विक्रयनामा निरस्त नहीं हुआ है, इस कारण से भी अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल की नियत पर संदेह होता है।

39. अतः अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि मृतक परदेशी राम यादव ने अभियुक्त राजेन्द्र यादव एवं अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल एवं गवाह कमल नारायण (वर्तमान समय में मृतक) एवं मोहन लाल शर्मा (वर्तमान समय में मृतक) के साथ एक राय होकर रामसाय यादव के रूप में प्रतिरूपण करते हुये पीड़ित रामसाय उरॉव के साथ छल किया।

40. अभियोजन संदेह से परे यह भी प्रमाणित करने में सफल रहा है कि छल–कपट एवं प्रतिरूपण द्वारा दोनों अभियुक्तगण अर्थात राजेन्द्र यादव एवं जवाहर लाल अग्रवाल द्वारा अन्य मृतकगणों के साथ एक राय होकर मूल्यवान प्रतिभूति अर्थात विक्रयनामा का कूटरचना द्वारा निर्माण किया गया।

41. अतः अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद यादव को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419 सहपठित 34, धारा 420 सहपठित धारा 34, 467 सहपठित 34 एवं 468 सहपठित 34 के अंतर्गत दोषी पाया जाता है। पीड़ित रामसाय उरॉव एवं अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल के मध्य राजीनामा के आधार पर माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय

बिलासपुर द्वारा जवाहर लाल अग्रवाल के विरूद्ध विरचित धारा 419 एवं 420 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों को समाप्त किया गया है। अतः अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल को केवल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467 सहपठित 34 एवं 468 सहपठित 34 के अंतर्गत दोषी पाया जाता है।

–:: <u>विचारणीय प्रश्न क्रं–04 पर निष्कर्ष</u>::–

4– क्या अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल द्वारा उक्त विक्रयनामा को कूटरचित जानते हुये भी उसका उपयोग असली के रूप में किया गया ?

42. अभियोजन साक्ष्य में प्रस्तुत परिवर्तन सूची बंदोबस्त प्र0पी0 ए–8 के अनुसार पूर्व में रामसाय पिता दोंदरो भूमि का मालिक था। अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल द्वारा उक्त भूमि क्रय किये जाने के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन दिया गया एवं उक्त आवेदन स्वीकार करते हुये अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल के पक्ष में नामान्तरण किया गया। अतः यह स्पष्ट रूप से परीलक्षित होता है कि अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल द्वारा विक्रयनामा प्र0पी0–11 एवं प्र0पी0–11ए को उपयोग कर भूमि का अपने पक्ष में नामान्तरण चढ़वाया गया था।

43. स्वयं अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल द्वारा अपने बचाव साक्ष्य में कथन किया गया है कि कलेक्टर कोरबा द्वारा भूमि का

नामान्तरण रामसाय के पक्ष में किये जाने के उपरांत उसने व्यवहारवाद को अनुपस्थिति में खारिज करा दिया था।

44. अतः अभियोजन संदेह से परे यह भी प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल द्वारा विक्रयनामा प्र0पी0–11 एवं प्र0पी0–11ए को कूटरचित जानते हुये उसे असली के रूप में उपयोग कर भूमि का अपने पक्ष में नामान्तरण चढ़वाया गया है। **अतः अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 471 के अंतर्गत दोषी पाया गया है।**

–:: <u>विचारणीय प्रश्न क्रं–05 पर निष्कर्ष</u>::–

5– क्या प्रार्थी रामसाय उरांव अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है और अभियुक्तगण राजेन्द्र यादव एवं जवाहर लाल अग्रवाल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के सदस्य नहीं है ?

45. **पीड़ित रामसाय उरॉव (अ0सा0–01)** द्वारा कथन किया है कि वह उरांव जाति का है। उसने हरिजन थाना कोरबा में अपनी उरॉव आदिवासी जाति के संबंध में जाति प्रमाण पत्र पुलिस वालों को दिया था, जिसकी छायाप्रति रखकर उसे पुलिस वाले मूल जाति प्रमाण पत्र वापस दिये थे, वह आज अपने साथ मूल जाति प्रमाण पत्र लेकर आया है जो प्र0पी0–03 है एवं उसकी प्रकरण में संलग्न छायाप्रति प्र0पी0–3सी है। बचाव पक्ष द्वारा पीड़ित को ऐसा कोई

सुझाव नहीं दिया गया है कि पीड़ित उरॉव आदिवासी जाति से संबंधित नहीं है।

46. **छोटे लाल अ0सा0–02 एवं अर्जुन उरॉव अ0सा0–03** द्वारा न्यायालय में कथन किया गया है कि पीड़ित रामसाय उरॉव जाति से है जो कि आदिवासी के अंतर्गत आता है। उक्त दोनों साक्षीगण को भी बचाव पक्ष द्वारा इन कथनों के संबंध में प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है।

47. बचाव पक्ष द्वारा **रामसाय उरॉव अ0सा0–01, छोटे लाल अ0सा0–02 एवं अर्जुन उरॉव अ0सा0–03** पर किये गये प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य के संबंध में कि प्रार्थी रामसाय उरांव अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, कोई खंडन नहीं हो सका है।

48. अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपीगण राजेन्द्र यादव एवं जवाहर लाल अग्रवाल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। आरोपीगण द्वारा विवेचना एवं विचारण के दौरान किसी भी स्तर पर यह दावा नहीं किया गया है कि वे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य है एवं न ही आरोपीगण द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज किसी भी स्तर पर प्रस्तुत किया गया है।

49. अतः यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि पीड़ित रामसाय उरॉव अनुसूचित जनजाति का सदस्य है और आरोपीगण

राजेन्द्र यादव एवं जवाहर लाल अग्रवाल, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के सदस्य नहीं है।

–:: <u>विचारणीय प्रश्न क्रं–06 पर निष्कर्ष::–</u>

6– क्या अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल, अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ एक राय होकर रामसाय पिता दोंदरों उरांव को अनुसूचित जनजाति का सदस्य जानते हुये उसकी भूमि को सदोष अधिभोग में लिया उस पर खेती किया अथवा उस भूमि को अपने नाम पर नामंतरित कराया गया ?

50. प्रकरण में उपरोक्त कंडिका 49 में यह तथ्य प्रमाणित पाया गया है कि पीड़ित रामसाय उरॉव अनुसूचित जनजाति का सदस्य है और आरोपीगण राजेन्द्र यादव एवं जवाहर लाल अग्रवाल, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के सदस्य नहीं है।

51. अतः समग्र रूप में अभियोजन संदेह से परे यह भी प्रमाणित करने में सफल रहा है कि छल–कपट एवं प्रतिरूपण द्वारा दोनों अभियुक्तगण अर्थात राजेन्द्र यादव एवं जवाहर लाल अग्रवाल द्वारा अन्य मृतकगणों के साथ एक राय होकर मूल्यवान प्रतिभूति अर्थात विक्रयनामा का कूटरचना द्वारा निर्माण किया गया, जिसके माध्यम से रामसाय उरॉव जो कि आदिवासी है की भूमि का

हस्तांतरण एवं नामान्तरण अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल के पक्ष में किया गया।

52. अतः दोनों अभियुक्तगण अर्थात राजेन्द्र यादव एवं जवाहर लाल अग्रवाल को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(iv) के अंतर्गत दोषी पाया जाता है।

– :: <u>अंतिम दोषसिद्धी</u> ::–

53. इस प्रकार समग्र रूप से अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद यादव को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419 सहपठित धारा 34, धारा 420 सहपठित धारा 34, धारा 467 सहपठित धारा 34 एवं धारा 468 सहपठित धारा 34 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(iv) के अंतर्गत के अंतर्गत दोषी पाया जाता है। अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद यादव को अन्य शेष आरोपों से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

54. इसी प्रकार समग्र रूप से अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467 सहपठित धारा 34, धारा 468 सहपठित धारा 34 एवं धारा 471 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(iv) के अंतर्गत दोषी पाया जाता है। अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल को अन्य शेष आरोपों से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

55. दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु प्रकरण थोड़ी देर पश्चात पुनः पेश हो।

सही/–
(जयदीप गर्ग)
विशेष न्यायाधीश एस.सी.&एस.टी.
(पी.ए.) एक्ट कोरबा (छ0ग0)

<u>पुनश्च</u>

56. दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्तगण एवं पीड़ित के मध्य राजीनामा हो गया है एवं अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल द्वारा पीड़ित रामसाय उरॉव के जमीन को वापिस कर दिया गया है। उस राजीनामा के आधार पर माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल को धारा 419, 420 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से उन्मुक्त किया गया है। अभियुक्तगण की यह प्रथम दोषसिद्धी होना बताया गया है एवं अभियुक्तगण की आयु एवं उनके पारिवारिक दायित्वों को देखते हुए सजा के बिन्दू पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये कम से कम सजा दिये जाने का निवेदन किया गया है।

57. इसके विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अभियुक्तगण को अधिकतम सजा देने का निवेदन किया गया।

58. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन ने अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धी के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अभियुक्तगण की यह प्रथम

दोषसिद्धी प्रतीत होती है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल द्वारा पीड़ित रामसाय उरॉव के जमीन को वापिस कर दिया गया है। उस राजीनामा के आधार पर माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल को धारा 419, 420 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से उन्मुक्त किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अपनी–अपनी पारिवारिक परिस्थितियों एवं सामाजिक जिम्मेदारियों के संबंध में बताया गया है, जिन पर भी विचार किया गया है।

59. अतः इन सब परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्तगण को अधिकतम सजा से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण को निम्नानुसार दंडित किया जाता हैः–

आरोपी का नाम	**अपराध**	**कारावास की सजा (सश्रम)**	**अर्थदंड की सजा**	**व्यतिक्रम में कारावास की सजा (सश्रम)**
राजेन्द्र प्रसाद यादव	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419 सहपठित धारा 34	02 वर्ष	4000/–रू0 (चार हजार रूपये)	02 माह
	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 सहपठित धारा 34	05 वर्ष	10,000/– रू0 (दस हजार रूपये)	05 माह
	भारतीय	07 वर्ष	14,000/–	07 माह

	दण्ड संहिता की धारा 467 सहपठित धारा 34		रू0 (चौदह हजार रूपये)	
	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 468 सहपठित धारा 34	05 वर्ष	10,000/– रू0 (दस हजार रूपये)	05 माह
	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(iv)	03 वर्ष	6000/–रू0 (छः हजार रूपये)	03 माह

आरोपी का नाम	**अपराध**	**कारावास की सजा (सश्रम)**	**अर्थदंड की सजा**	**व्यतिक्रम में कारावास की सजा (सश्रम)**
जवाहर लाल अग्रवाल	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467 सहपठित धारा 34	07 वर्ष	14,000/– रू0 (चौदह हजार रूपये)	07 माह
	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 468 सहपठित धारा 34	05 वर्ष	10,000/– रू0 (दस हजार रूपये)	05 माह
	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 471	02 वर्ष	4,000/– रू0 (चार हजार रूपये)	02 माह
	अनुसूचित जाति और	03 वर्ष	6000/–	03 माह

	अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(iv)		रू0 (छः हजार रूपये)	

60. दोनों अभियुक्तगण को दी गई कारावास की सजायें साथ–साथ चलेंगी। अभियुक्तगण के द्वारा विवेचना एवं विचारण के दौरान पुलिस अभिरक्षा एवं न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि को धारा–428 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कारावास की सजा में समायोजित किया जावे। इस संबंध में पृथक से धारा 428 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रमाण–पत्र तैयार किया जावे।

61. प्रकरण में जप्तशुदा दस्तावेज मूल्यवान होने से नष्ट नहीं किये जायेंगे एवं प्रकरण में संलग्न रहेंगे। अपील होने पर उक्त संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे।

62. प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

मेरे निर्देश पर टंकित।

सही/–
(जयदीप गर्ग)
विशेष न्यायाधीश एस.सी. एवं एस.टी.
(पी.ए.) एक्ट कोरबा (छ0ग0)

दिनांकः 29–07–2024

–:: **<u>अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद यादव का अभिरक्षा प्रमाण पत्र</u>** ::–
(<u>अन्तर्गत धारा– 428 दं.प्र.स.</u>)

1– गिरफ्तारी दिनांक	–:	दिनांक 09–01–2015
2 न्यायिक अभिरक्षा	–:	दिनांक 09–01–2015 से दिनांक 11–06–2015 तक
3– पुलिस अभिरक्षा	–:	निरंक
4– जमानत अवधि	–:	11–06–2015 से दिनांक 29–07–2024 तक
5– कुल न्यायिक अभिरक्षा अवधि	–:	09–01–2015 से दिनांक 11–06–2015 तक <u>कुल– 153 दिन</u>

–:: **<u>अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल का अभिरक्षा प्रमाण पत्र</u>** ::–
(<u>अन्तर्गत धारा– 428 दं.प्र.स.</u>)

1– गिरफ्तारी दिनांक	–:	– (अग्रिम जमानत)
2 न्यायिक अभिरक्षा	–:	–
3– पुलिस अभिरक्षा	–:	निरंक
4– जमानत अवधि	–:	11–07–2015 से दिनांक 29–07–2024 तक
5– कुल न्यायिक अभिरक्षा अवधि	–:	निरंक

सही/–
(जयदीप गर्ग)
विशेष न्यायाधीश एस.सी.&एस.टी.
(पी.ए.) एक्ट कोरबा (छ0ग0)

स्थानः– कोरबा
दिनांकः 29–07–2024